परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्रांकः303 रोपी/2020–07रोपी/लखनऊ/2019 दिनांकः 14/19 फरवरी, 2020

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो),
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।

विषयः **माननीय उच्च न्यायालय में योजित जनहित रिट याचिका संख्याः 12108 (एम0बी0)/2017 अवध बार एसोसिएशन, उच्च न्यायालय, लखनऊ बनाम पुलिस अधीक्षक, यातायात में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–07–2017 एवं पारित आदेश दिनांक 14–10–2017 के अनुपालन में पॉलीटेक्निक चौराहे, लखनऊ पर सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।**

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के अनुक्रम में पॉलीटेक्निक चौराहे पर सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने तथा परिवहन निगम की बसों से पॉलीटेक्निक चौराहे पर लगने वाले जाम की स्थिति के दृष्टिगत परिवहन निगम द्वारा पॉलीटेक्निक के पूर्व दोनों ओर यात्री शेल्टर का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान में इन यात्री शेल्टरों पर बसों को रोककर यात्रियों का यात्रा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

उक्त के अतिरिक्त पॉलीटेक्निक चौराहे पर लगने वाले जाम की स्थिति से मुक्ति पाने के उद्देश्य से पूर्वांचल की ओर से लखनऊ आने वाली बसों का संचालन अवध बस स्टेशन कमता, लखनऊ से कराया जाना प्रस्तावित है तथा अतिशीघ्र अवध बस स्टेशन, कमता, लखनऊ को शुभारम्भ किये जाने की कार्यवाही गतिशील है।

ऐसी स्थिति में पॉलीटेक्निक चौराहे होकर परिवहन निगम का आवागमन अत्यन्त न्यून अथवा समाप्त किये जाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि जब तक अवध बस स्टेशन, कमता, लखनऊ से परिवहन निगम की बसों का शुभारम्भ नहीं किया जाता है, तब तक लखनऊ से पूर्वांचल की ओर जाने वाली बसें पॉलीटेक्निक चौराहे के निकट टर्न होकर परिवहन निगम द्वारा बनाये गये यात्री शेल्टर पर बसों में यात्रियों को यात्रा सुविधा उपलब्ध कराते हुए शहीद पथ होते हुए अयोध्या मार्ग पर संचालित की जाएं।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि, जब तक अवध बस स्टेशन, कमता, लखनऊ से बसों का संचालन प्रारम्भ नहीं किया जाता है, तब तक आप अपने क्षेत्र/डिपो की लखनऊ से पूर्वांचल की ओर जाने वाली बसों को पॉलीटेक्निक के पूर्व टर्न कराकर परिवहन निगम द्वारा बनाये गये यात्री शेल्टर पर यात्रियों को यात्रा सुविधा उपलब्ध कराते हुए शहीद पथ होते हुए फैजाबाद मार्ग पर संचालित कराना सुनिश्चित करें तथा इस सम्बन्ध में अपने क्रू को भी आवश्यक निर्देश निर्गत करें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(राजेश वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धन(संचालन)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशा0/प्रावि0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

(राजेश वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धन(संचालन)